



मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाखा

भारतीय न्याय संहिता 2023



[तुलनात्मक अध्ययन]

भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) और भारतीय दंड संहिता 1860(आईपीसी)

. परिभाषाएँ [बीएनएस की धारा 2/आईपीसी की धारा 8 से 52ए]

सामान्य

- आईपीसी में कोई परिभाषा खंड नहीं था. सभी व्याख्या धाराएं आईपीसी की धारा 8 से 52ए तक फैली हुई थीं।
- आईपीसी की धारा 50 में 'धारा' की परिभाषा को बीएनएस ने हटा दिया है क्योंकि यह अब विभिन्न कानूनों में व्यापक उपयोग का शब्द है और इसे किसी परिभाषा या स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- आईपीसी, 1860 की धारा 8 से 52ए में इनमें से अधिकांश व्याख्या खंडों को बिना किसी बदलाव के बीएनएस में रखा गया है और पढ़ने और संदर्भ में आसानी के लिए वर्णमाला शब्दकोश अनुक्रम में बीएनएस की धारा 2 में कॉम्पैक्ट रूप से समूहीकृत किया गया है।

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

- हालाँकि आईपीसी की धारा 8 से 52ए के अधिकांश व्याख्या नियमों को बिना किसी बदलाव के बीएनएस की धारा 2 में शामिल किया गया है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बीएनएस में इन व्याख्या नियमों की प्रयोज्यता सभी प्रावधानों के संदर्भ की आवश्यकताओं के अधीन है। धारा 2 में बीएनएस की परिभाषाएँ योग्यता वाक्यांश के अधीन हैं "जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो"। आईपीसी की धारा 8 से 52ए में व्याख्या खंडों की प्रयोज्यता, धारा 9, 32 और 46 की परिभाषाओं को छोड़कर, प्रासंगिक आवश्यकताओं के अधीन नहीं बनाई गई थी।

बच्चा

- बीएनएस की धारा 2(3) में 'बच्चे' की नई परिभाषा

ट्रांसजेंडर

- आईपीसी की धारा 8 में "लिंग" की परिभाषा केवल पुरुष और महिला लिंग को पहचानती है। बीएनएस की धारा 2(10) में "लिंग" की नई परिभाषा "पुरुष" और "महिला" के लिंग के अलावा "ट्रांसजेंडर" को भी मान्यता देती है।

भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रशिक्षण से संबंधित अध्ययन सामग्री



मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाखा

भारतीय न्याय संहिता 2023



2. बच्चा [बीएनएस की धारा 2(3)]

बच्चा

- बीएनएस की धारा 2(3) एक नया प्रावधान है [नया]
- बीएनएस की धारा 2(3) 'बच्चे' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति है।

3. न्यायालय [बीएनएस की धारा 2(5)/आईपीसी की धारा 20]

चित्रण का लोप

- "मद्रास कोड के विनियमन VII, 1816" का जिक्र करते हुए आईपीसी की धारा 20 के नीचे दिए गए चित्रण को बीएनएस की धारा 2(5) की परिभाषा से हटा दिया गया है, क्योंकि विनियमन VII के निरसन के साथ यह चित्रण बहुत पहले ही निरर्थक हो गया था। मद्रास सिविल न्यायालय अधिनियम, 1873.

4. दस्तावेज़ [बीएनएस की धारा 2(8)/आईपीसी की धारा 29]

इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड

- बीएनएस की धारा 2(8) में प्रावधान है कि दस्तावेजों में 'इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल रिकॉर्ड' शामिल हैं।

5. लिंग [बीएनएस की धारा 2(10)/आईपीसी की धारा 8]

ट्रांसजेंडर को लिंग के रूप में मान्यता दी गई और परिभाषित किया गया

- धारा 2(10) में परिभाषा स्पष्ट रूप से ट्रांसजेंडर को संदर्भित करती है और उस शब्द को परिभाषित करती है जो आईपीसी की धारा 8 में नहीं था।



मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाखा

भारतीय न्याय संहिता 2023



6. न्यायाधीश [बीएनएस की धारा 2(16)/आईपीसी की धारा 19]

पुराना कानून - धारा 19 (आईपीसी, 1860) - "न्यायाधीश"

- पुराने कानून में "न्यायाधीश" की परिभाषा काफी विस्तृत है।
- इसमें कहा गया है कि "न्यायाधीश" शब्द में न केवल आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में नामित व्यक्ति शामिल हैं, बल्कि वे लोग भी शामिल हैं जिनके पास किसी भी कानूनी कार्यवाही, चाहे वह नागरिक हो या आपराधिक, में निश्चित निर्णय देने का अधिकार है।
- यह परिभाषा ऐसे व्यक्तियों को शामिल करती है जो ऐसे निर्णय ले सकते हैं, जिनके विरुद्ध अपील न किए जाने पर उन्हें अंतिम माना जाएगा।
- इसमें ऐसे निर्णय देने के लिए कानून द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के निकाय के सदस्य भी शामिल हैं।
- दिए गए चित्र इस परिभाषा को और स्पष्ट करते हैं, जिसमें कलेक्टर, मजिस्ट्रेट और पंचायत के सदस्यों के उदाहरण भी शामिल हैं।

नया कानून - धारा 2(16) - "न्यायाधीश"

- नए कानून में "न्यायाधीश" की परिभाषा अधिक संक्षिप्त है और एक समान पैटर्न का अनुसरण करती है।
- नया कानून पुराने कानून की परिभाषा के अनुरूप है लेकिन जानकारी को अधिक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है।

7. माह और वर्ष [बीएनएस की धारा 2(20)/आईपीसी की धारा 49]

ब्रिटिश कैलेंडर के संदर्भ को ग्रेगोरियन कैलेंडर के संदर्भ से बदल दिया गया

- आईपीसी की धारा 49 में ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार वर्ष या महीने की गणना की आवश्यकता होती है, जबकि बीएनएस की धारा 2(20) के अनुसार ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष या महीने की गणना की जाती है।

8. चल संपत्ति [बीएनएस की धारा 2(21)/आईपीसी की धारा 22]

धारा 2(21) में "चल संपत्ति" का दायरा धारा 22 की परिभाषा के विपरीत, भौतिक रूप में संपत्ति तक सीमित नहीं है।

- बीएनएस की धारा 2(21) में "संपत्ति" शब्द से पहले "शारीरिक को शामिल करने का इरादा है" शब्द को हटा दिया गया है, जो आईपीसी की धारा 22 में चल संपत्ति की परिभाषा में था।
- इसलिए, चल संपत्ति में अचल संपत्ति के अलावा हर प्रकार की संपत्ति शामिल है, चाहे ऐसी संपत्ति भौतिक (मूर्त भौतिक) रूप में हो या नहीं।



मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाखा

भारतीय न्याय संहिता 2023



- बीएनएस के तहत चल संपत्ति की परिभाषा में पेटेंट, कॉपीराइट आदि जैसी अमूर्त संपत्ति के साथ-साथ कार्रवाई योग्य दावे भी शामिल होंगे।

9. लोक सेवक [बीएनएस की धारा 2(28)/आईपीसी की धारा 21]

पंचों में एक

- बीएनएस की धारा 2(28) में परिभाषा से जूरीमैन का संदर्भ हटा दिया गया

स्थानीय प्राधिकारी

- "स्थानीय प्राधिकरण" को सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 के खंड (31) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के संदर्भ में परिभाषित किया गया है।

10. दंड [बीएनएस की धारा 4/आईपीसी की धारा 53]

सामुदायिक सेवा

- आईपीसी की धारा 53 में 5 प्रकार की सज़ाओं का प्रावधान है। (1) मृत्यु; (2) आजीवन कारावास; (3) कारावास जो दो प्रकार का होता है-कठोर और सरल; (4) संपत्ति की जब्ती और (5) जुर्माना। बीएनएस की धारा 4(एफ) ने एक नई छठी प्रकार की सजा पेश की है - सामुदायिक सेवा।
- जेलों पर बोझ कम करने के लिए पहली बार सामुदायिक सेवा को सजा के तौर पर बीएनएस में शामिल किया गया है और इसे कानूनी दर्जा दिया जा रहा है। [पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 20-12-2023]
- बीएनएस किसी उद्घोषणा के जवाब में उपस्थित न होना, आत्महत्या करने का प्रयास, लोक सेवक की वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करना या रोकना, चोरी के पैसे वापस करने पर छोटी-मोटी चोरी, शराबी द्वारा सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार जैसे छोटे-मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में निर्धारित करता है। व्यक्ति, मानहानि, आदि
- शब्द "सामुदायिक सेवा" को बीएनएस में परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, इसे बीएनएस की धारा 23 के स्पष्टीकरण द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ वह कार्य है जिसे न्यायालय किसी दोषी को सजा के रूप में करने का आदेश दे सकता है जिससे समुदाय को लाभ होता है, जिसके लिए वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।

आजीवन कारावास

- आजीवन कारावास की सजा को स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास के रूप में परिभाषित किया गया है।



मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाखा

भारतीय न्याय संहिता 2023



11. सजा, सजा में कमी [बीएनएस की धारा 5/आईपीसी की धारा 54 और 55

- सीआरपीसी की धारा 433 और बीएनएस की धारा 474 के बीच तुलना नीचे दी गई है:

वाक्य	कॉलम में क्या वाक्य है (1) को उपयुक्त सरकार द्वारा बदला जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 433 के तहत	कॉलम(1) में दी गई सजा को उपयुक्त सरकार द्वारा किस लिए बदला जा सकता है? बीएनएस की धारा 474 के तहत
(1)	(2)	(3)
सज़ाकी मृत्यु	उपयुक्त सरकार भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रदत्त किसी भी अन्य सज़ा के लिए मौत की सज़ा को कम कर सकती है	मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है
सज़ा कैद आजीवन	अधिकतम चौदह वर्ष की कैद या जुर्माने से सजा कम की जा सकती है;	सज़ा को कम से कम 7 साल की कैद में बदला जा सकता है
के लिए कारावाससातवर्ष या अधिक	—	सज़ा को कम से कम 3 साल की कैद में बदला जा सकता है
सजा कठोर कारावास	जिस अवधि के लिए उस व्यक्ति को सज़ा सुनाई गई हो, उसे साधारण कारावास या जुर्माने से कम किया जा सकता है;	सज़ा को किसी भी अवधि के लिए साधारण कारावास में बदला जा सकता है, जिस अवधि के लिए उस व्यक्ति को सज़ा सुनाई गई हो
वाक्य कासरल कैद होना	सज़ा को जुर्माने में बदला जा सकता है	—



मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाखा

भारतीय न्याय संहिता 2023



सजा कैद सात साल से कम	—	सज़ा को जुर्माने में बदला जा सकता है
-----------------------	---	--------------------------------------

12. सज़ा, शर्तों के अंश [बीएनएस की धारा 6/आईपीसी की धारा 57]

जब तक अन्यथा प्रदान न किया गया हो

- आईपीसी की धारा 57 के विपरीत, धारा 6 "जब तक अन्यथा प्रदान नहीं किया गया" लागू होता है।
- शब्द "जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो" जो कि धारा 57 में नहीं थे, प्रावधान के अंत में धारा 6 में जोड़ दिए गए हैं।

13. जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर दायित्व, आदि। [बीएनएस की धारा 8/आईपीसी की धारा 63 से 70]

सामुदायिक सेवा

- आईपीसी में केवल जुर्माना अदा न करने पर कारावास का ही प्रावधान है। चूंकि आईपीसी में सामुदायिक सेवा के लिए कोई सज़ा नहीं थी, इसलिए आईपीसी में सामुदायिक सेवा में चूक करने पर कारावास का भी प्रावधान नहीं था।
- बीएनएस द्वारा सामुदायिक सेवा की नई सजा की शुरुआत के परिणामस्वरूप [बीएनएस की धारा 4 देखें], बीएनएस की धारा 8 की उप-धारा (4) और (5) सामुदायिक सेवा के डिफॉल्ट में कारावास लगाने का प्रावधान करती है।

सामुदायिक सेवा का जुर्माना, भुगतान में चूक

- पुराने कानून के तहत जुर्माना अदा न करने पर निम्नलिखित सजा का पालन किया जाता है:

1.

- जुर्माना ₹50 से अधिक नहीं - कारावास 2 महीने से अधिक नहीं
- जुर्माना ₹100 से अधिक नहीं - कारावास 4 महीने से अधिक नहीं
- किसी भी अन्य मामले में - कारावास 6 महीने से अधिक नहीं

- जुर्माने के भुगतान में चूक या सामुदायिक सेवा में चूक के लिए बीएनएस के तहत निम्नलिखित सजा दी जाती है:

1.

- जुर्माना ₹5000 से अधिक नहीं या सामुदायिक सेवा - 2 महीने से अधिक कारावास नहीं
- जुर्माना ₹10,000 से अधिक नहीं या सामुदायिक सेवा - कारावास 4 महीने से अधिक नहीं
- किसी भी अन्य मामले में - कारावास 1 वर्ष से अधिक नहीं



मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाखा

भारतीय न्याय संहिता 2023



14. संपत्ति की निजी रक्षा, जब अधिकार, मृत्यु का कारण बनने तक विस्तारित हो [बीएनएस की धारा 41/आईपीसी की धारा 103]

घर तोड़ना

- पुराने कानून में 'रात में घर तोड़ने' का प्रावधान था। बीएनएस की धारा 41 में 'सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले घर तोड़ने' का प्रावधान है।
- सीआरपीसी की धारा 103 में 'आग से उत्पात' का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 41 में 'आग या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत' का प्रावधान है।

15. संपत्ति की निजी रक्षा, अधिकार की शुरुआत और निरंतरता [बीएनएस की धारा 43/आईपीसी की धारा 105]

'सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले' घर तोड़ना

- आईपीसी की धारा 105 में 'रात में घर तोड़ने' का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 43 में 'सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले घर तोड़ने' का प्रावधान है।

16. भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर उकसाना (नया) [बीएनएस की धारा 48]

भारत के बाहर उकसाना

- बीएनएस की धारा 48 एक नया प्रावधान है [नया]
- बीएनएस की धारा 48 में प्रावधान है कि एक व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के तहत अपराध को बढ़ावा देता है, जो भारत के बाहर और बाहर, भारत में किसी भी कार्य को करने के लिए उकसाता है जो भारत में किए जाने पर अपराध होगा।
- भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा उकसावे को धारा 48 के तहत अपराध बनाया गया है ताकि विदेश में स्थित व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सके।



मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाखा

भारतीय न्याय संहिता 2023



17. जनता द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध करने के लिए उकसाना [बीएनएस की धारा 57/आईपीसी की धारा 117]

निर्धारित सज़ा

- आईपीसी की धारा 117 में 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 57 में 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

18. बलात्कार [बीएनएस की धारा 63/आईपीसी की धारा 375]

सहमति की उम्र

- बीएनएस की धारा 63 के अपवाद 2 में प्रावधान है कि किसी पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी, जिसकी पत्नी 18 वर्ष से कम उम्र की न हो, के साथ यौन संबंध या यौन कृत्य बलात्कार नहीं है। आईपीसी की धारा 375 के तहत उम्र सीमा 15 साल थी।

19. बलात्कार, सजा [बीएनएस की धारा 64/आईपीसी की धारा 376]

सहमति

- बीएनएस की धारा 64(2) के खंड (i) में 'सहमति देने में असमर्थ महिला के साथ बलात्कार करने' का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 376(2)(i) में प्रावधान है कि 'महिला जब 16 वर्ष से कम उम्र की हो तो उसके साथ बलात्कार किया जाता है।'

20 बलात्कार, कुछ मामलों में सज़ा [बीएनएस की धारा 65/आईपीसी की धारा 376एबी]

आयु वर्ग

- बीएनएस की धारा 65 कानूनी ढांचे को सरल बनाते हुए दोनों आयु श्रेणियों (12 वर्ष से कम और 16 वर्ष से कम) को एक ही खंड में जोड़ती है।



मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाखा

भारतीय न्याय संहिता 2023



21. धोखेबाज़ साधनों का उपयोग करके यौन संबंध बनाना, आदि। [बीएनएस की धारा 69]

कपटपूर्ण साधनों का उपयोग करके संभोग करना

- बीएनएस की धारा 69 एक नया प्रावधान है [नया]
- बीएनएस की धारा 69 में प्रावधान है कि जो कोई भी, धोखे से या बिना किसी इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा करता है और उसके साथ यौन संबंध बनाता है, ऐसा यौन संबंध बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अवधि के लिए, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- "धोखाधड़ी वाले तरीकों" में रोजगार या पदोन्नति का झूठा वादा, प्रलोभन देना या पहचान छिपाकर शादी करना शामिल होगा।

22. बलात्कार, गिरोह [बीएनएस की धारा 70/आईपीसी की धारा 376डी से 376डीबी]

18 वर्ष से कम उम्र की महिला से सामूहिक बलात्कार के लिए मृत्युदंड

- 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए आईपीसी की धारा 376DB के तहत मौत की सजा का प्रावधान किया गया था। धारा 376DA में 16 वर्ष से कम लेकिन 12 वर्ष से अधिक आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। अब, बीएनएस की धारा 70(2) में 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है।

23. महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग [बीएनएस की धारा 76/आईपीसी की धारा 354बी]

तटस्थ लिंग

- शब्द "जो भी" का प्रयोग बीएनएस की धारा 76 और 77 में किया गया है। पहले 'आदमी' शब्द का इस्तेमाल आईपीसी की धारा 354बी/354सी में किया जाता था

24. ताक-झांक करना [बीएनएस की धारा 77/आईपीसी की धारा 354सी]

तटस्थ लिंग

- शब्द "जो भी" का प्रयोग बीएनएस की धारा 75 और 76 में किया गया है। पहले 'आदमी' शब्द का इस्तेमाल आईपीसी की धारा 354बी/354सी में किया जाता था



मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाखा

भारतीय न्याय संहिता 2023



25. महिला, किसी विवाहित महिला को फुसलाना या ले जाना या आपराधिक इरादे से हिरासत में रखना [बीएनएस की धारा 84/आईपीसी की धारा 498]

पति या किसी अन्य व्यक्ति की देखरेख में महिला

- आईपीसी की धारा 498 से 'उस आदमी से, या उस आदमी की ओर से उसकी देखभाल करने वाले किसी भी व्यक्ति से' शब्द हटा दिए गए हैं
- इस प्रकार, आईपीसी की धारा 498 के विपरीत, बीएनएस की धारा 84 के तहत अपराध किया जाता है, चाहे एक विवाहित महिला को उसके पति से या उसके पति की ओर से उसकी देखभाल करने वाले किसी व्यक्ति से दूर ले जाया गया हो या फुसलाया गया हो।
- धारा 84 एक विवाहित महिला की सुरक्षा करती है चाहे वह अपने पति की देखभाल में रह रही हो या नहीं या कोई अन्य व्यक्ति जो उसके पति की ओर से उसकी देखभाल कर रहा हो।

26. बच्चे को काम पर रखना, नौकरी पर रखना या अपराध करने के लिए नियुक्त करना [बीएनएस की धारा 95] [नया]

अपराध करने के लिए बच्चे को काम पर रखना

- बीएनएस की धारा 95 एक नया प्रावधान है
- बीएनएस की धारा 95 में प्रावधान है कि जो कोई भी अठारह वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के लिए काम पर रखता है, नियोजित करता है या संलग्न करता है, उसे उस अपराध के लिए कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा जैसे कि अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया हो। .
- यौन शोषण या पोर्नोग्राफी के लिए किसी बच्चे को काम पर रखना, नियोजित करना, संलग्न करना या उसका उपयोग करना इस अनुभाग के अर्थ में शामिल है।

27. बच्चा, [बीएनएस की धारा 96/आईपीसी की धारा 366ए] की खरीद

तटस्थ लिंग

- आईपीसी की धारा 366ए में नाबालिग लड़की (अठारह वर्ष से कम उम्र) की खरीद-फरोख्त के अपराध का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 96 अठारह वर्ष से कम उम्र (लिंग की परवाह किए बिना) किसी भी बच्चे की खरीद के अपराध से संबंधित है।
- बीएनएस की धारा 96 द्वारा बच्चों को दी गई सुरक्षा आईपीसी की धारा 366ए द्वारा दी गई सुरक्षा से अधिक व्यापक है क्योंकि धारा 96 के तहत सुरक्षा लिंग की परवाह किए बिना सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है, जबकि धारा 366ए केवल नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा करती है।



मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाखा

भारतीय न्याय संहिता 2023



28. बच्चा, वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनों के लिए बेचना। [बीएनएस की धारा 98/आईपीसी की धारा 372]

बच्चा

- आईपीसी की धारा 372 में "किसी भी व्यक्ति" के स्थान पर "बच्चा" शब्द रखा गया है

29. बच्चा, वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनों के लिए खरीदना। [बीएनएस की धारा 99/आईपीसी की धारा 373]

बच्चा

- बीएनएस की धारा 99 में 'व्यक्ति' के स्थान पर 'बच्चा' शब्द रखा गया है

निर्धारित कारावास

- निर्धारित कारावास '7 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है'। पहले निर्धारित कारावास 'दस वर्ष' था।

30. मॉब लिंगिंग [बीएनएस की धारा 103(1)/आईपीसी की धारा 302]

- बीएनएस की धारा 103(2) एक नया प्रावधान है [नया]
- बीएनएस की धारा 103(2) में प्रावधान है कि जब पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है तो ऐसे प्रत्येक सदस्य समूह को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, और जुर्माना भी देना होगा।

31. हत्या, आजीवन कारावास की सजा [बीएनएस की धारा 104/आईपीसी की धारा 303]

निर्धारित कारावास

- आईपीसी के विपरीत, हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा देना अनिवार्य नहीं है। बीएनएस ने न्यायाधीश को जीवन-दोषी हत्यारे को मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा देने का विकल्प दिया, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन से होगा।



मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाखा

भारतीय न्याय संहिता 2023



32. गैर इरादतन हत्या, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती, के लिए सजा [बीएनएस की धारा 105/आईपीसी की धारा 304]

निर्धारित सज़ा

- बीएनएस की धारा 105 में जुर्माने के साथ 'कम से कम 5 साल की कैद जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है' का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 304 के तहत 10 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान था

यदि आरोपी पुलिस को मामले की रिपोर्ट करता है और पीड़ित को चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल ले जाता है तो कम सजा होती है

- 20.12.2023 को लोकसभा में गृह मंत्री के बयान के अनुसार - गैर इरादतन हत्या के मामले में पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 20.12.2023 देखें, यदि आरोपी मामले की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस के पास जाता है और पीड़ित को ले जाता है तो कम सजा का प्रावधान है। चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल में। [हालांकि, बीएनएस के पाठ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है]

33. लापरवाही के कारण मृत्यु [बीएनएस की धारा 106/आईपीसी की धारा 304ए]

सज़ा बढ़ा दी गई

- बीएनएस की धारा 106(1) में प्रावधान है कि जो कोई भी लापरवाही से या गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आने वाले किसी भी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है।
- नया कानून लापरवाही से मौत के लिए सज़ा को अधिकतम दो साल से बढ़ाकर अधिकतम पांच साल कर देता है। यह परिवर्तन लापरवाही के परिणामस्वरूप मृत्यु के मामलों के प्रति सख्त दृष्टिकोण को दर्शाता है।

अपराधी का भाग जाना या रिपोर्ट करने में असफल होना [नया]

- धारा 106(2) बीएनएस की धारा 106 में उप-धारा (2) में एक अतिरिक्त प्रावधान पेश करती है, जो उन स्थितियों को संबोधित करती है जहां अपराधी घटना के बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना घटना स्थल से भाग जाता है। ऐसे मामलों में सज़ा बहुत कड़ी होती है, जिसमें अधिकतम दस साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। [धारा 106(2)]
- चूंकि हिट एंड रन के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए बीएनएस की धारा 106(2) के तहत एक नया प्रावधान किया गया है। वर्तमान में हिट एंड रन के मामले, जिसके परिणामस्वरूप लापरवाह और लापरवाह ड्राइविंग के कारण मृत्यु होती है, आईपीसी की धारा 304 ए के तहत दर्ज किए जाते हैं, जिसमें अधिकतम दो साल की कैद की सजा होती है। 2021 की दिल्ली रोड क्रैश रिपोर्ट के अनुसार, 555 मामले (कुल मामलों का 46.01%) थे, जहां अपराध में शामिल वाहनों की पंजीकरण संख्या अज्ञात थी, जो हिट एंड रन के मामलों को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में बढ़ती वाहन दुर्घटना के मद्देनजर कानून की अपर्याप्तता पर टिप्पणी की थी। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए, खंड 106(2) के तहत नया प्रावधान पेश किया गया है, जो लंबे समय से लंबित था।



मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाखा

भारतीय न्याय संहिता 2023



- धारा 106(2) को हिट एंड रन दुर्घटनाओं को कवर करने और दुर्घटना की तुरंत रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है। इसे वर्ष 2019 में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में पेश किए गए शब्द 'गोल्डन ऑवर' के भीतर पीड़ित को बचाने के उद्देश्य से पेश किया गया है।
- धारा 106(2) के तहत सज़ा केवल इस आधार पर नहीं दी जाती है कि घटना के बाद ड्राइवर भीड़ द्वारा पीट-पीट कर मार डालने की आशंका वाले लोगों के गुस्से से बचने के लिए घटनास्थल से भाग गया। अपराध केवल तभी किया जाता है जब घटना के तुरंत बाद उसके द्वारा पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना न देने के साथ घटनास्थल से भाग जाना शामिल हो।

चिकित्सा व्यवसायी [नया]

- पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के मामले में यदि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा प्रक्रिया करते समय लापरवाही बरती जाती है, तो उसे दो वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" का अर्थ एक चिकित्सा व्यवसायी है जिसके पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) के तहत मान्यता प्राप्त कोई भी चिकित्सा योग्यता है और जिसका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या ए में दर्ज किया गया है। उस अधिनियम के तहत राज्य चिकित्सा रजिस्टर।

34. बच्चे या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की आत्महत्या, उकसाना [बीएनएस की धारा 107/आईपीसी की धारा 305]

अस्वस्थ मन

- आईपीसी की धारा 305 में "पागल व्यक्ति"/"किसी भी बेवकूफ" के संदर्भ को बीएनएस में "विक्षिप्त दिमाग वाले व्यक्ति" के संदर्भ से बदल दिया गया है।

35. हत्या, प्रयास [बीएनएस की धारा 109/आईपीसी की धारा 307]

निर्धारित सज़ा

- आईपीसी के तहत, धारा 307 में आजीवन अपराधी द्वारा हत्या के प्रयास के लिए केवल मृत्युदंड का प्रावधान है। आजीवन अपराधी द्वारा हत्या के प्रयास के लिए, बीएनएस की धारा 109 में मौत या आजीवन कारावास का प्रावधान है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन से होगा।



मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाखा

भारतीय न्याय संहिता 2023



36. संगठित अपराध [बीएनएस की धारा 111] [नया]

- बीएनएस की धारा 111 एक नया प्रावधान है
- धारा 111 निम्नानुसार प्रदान करती है:
 1. किसी भी व्यक्ति द्वारा अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि पर कब्जा, अनुबंध हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों की तस्करी, ड्रग्स, हथियार या अवैध सामान या सेवाओं, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी सहित कोई भी गैरकानूनी गतिविधि जारी है। या व्यक्तियों का एक समूह, अकेले या संयुक्त रूप से, या तो एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से, हिंसा का उपयोग करके, हिंसा की धमकी, धमकी, जबरदस्ती, या किसी अन्य गैरकानूनी तरीके से प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। वित्तीय लाभ सहित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भौतिक लाभ, एक संगठित अपराध माना जाएगा।

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "संगठित अपराध सिंडिकेट" का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह, जो अकेले या संयुक्त रूप से, एक सिंडिकेट या गिरोह के रूप में किसी भी निरंतर गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होते हैं;

(ii) "गैरकानूनी गतिविधि जारी रखना" का अर्थ कानून द्वारा निषिद्ध एक गतिविधि है जो एक संज्ञेय अपराध है जिसमें तीन साल या उससे अधिक की कैद की सजा हो सकती है, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा अकेले या अकेले किया जाता है। संयुक्त रूप से, एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से जिसके संबंध में पिछले दस वर्षों की अवधि के भीतर एक सक्षम न्यायालय के समक्ष एक से अधिक आरोप पत्र दायर किए गए हों और उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान लिया हो, और इसमें आर्थिक अपराध भी शामिल हैं;

(iii) "आर्थिक अपराध" में आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, मुद्रा-नोटों, बैंक-नोटों और सरकारी टिकटों की जालसाजी, हवाला लेनदेन, बड़े पैमाने पर विपणन धोखाधड़ी या शामिल हैं। कई व्यक्तियों को धोखा देने के लिए कोई योजना चलाना या किसी भी रूप में मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य संस्थान या संगठन को धोखा देने के उद्देश्य से किसी भी तरीके से कोई कार्य करना।

- जो कोई संगठित अपराध करेगा, वह-

भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रशिक्षण से संबंधित अध्ययन सामग्री



मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाखा

भारतीय न्याय संहिता 2023



1. यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, और जुर्माना भी देना होगा जो दस लाख रुपये से कम नहीं होगा;
2. किसी अन्य मामले में, कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा।

- जो कोई किसी संगठित अपराध के लिए उकसाता है, प्रयास करता है, षडयंत्र रचता है या जानबूझकर सहायता करता है, या अन्यथा किसी संगठित अपराध की तैयारी में किसी कार्य में संलग्न होता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि पांच साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास और जुर्माने का भी दंड दिया जाएगा जो पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा।
- कोई भी व्यक्ति जो किसी संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा। लाख रुपये.
- जो कोई, जानबूझकर, संगठित अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को शरण देगा या छुपाएगा, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जो पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा। यह प्रावधान ऐसे किसी भी मामले पर लागू नहीं होगा जिसमें अपराधी के पति या पत्नी द्वारा आश्रय या छिपाव किया गया हो।
- जो कोई भी किसी संगठित अपराध से प्राप्त या प्राप्त की गई संपत्ति या किसी संगठित अपराध की आय या संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति का मालिक होगा, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास और जुर्माना भी देना होगा जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा।
- यदि किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से किसी भी व्यक्ति के पास ऐसी चल या अचल संपत्ति है, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सकता है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जो तीन से कम नहीं होगी। साल लेकिन जिसे दस साल तक की कैद तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा।

37. संगठित अपराध, क्षुद्र [बीएनएस की धारा 112] [नया]

- बीएनएस की धारा 112 एक नया प्रावधान है
- धारा 112 निम्नानुसार प्रावधान करती है:

1. जो कोई, किसी समूह या गिरोह का सदस्य होते हुए, अकेले या संयुक्त रूप से, चोरी, छीना-झपटी, धोखाधड़ी, टिकटों की अनधिकृत बिक्री, अनधिकृत सट्टेबाजी या जुआ, सार्वजनिक परीक्षा प्रश्नपत्रों की बिक्री या इसी तरह का कोई अन्य आपराधिक कार्य करता है, वह है छोटे-मोटे संगठित अपराध करने की बात कही। इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "चोरी" में चाल चोरी, वाहन, आवास गृह या व्यावसायिक परिसर से चोरी, कार्गो चोरी, जेब काटना, कार्ड स्कीमिंग के माध्यम से चोरी, दुकान से चोरी और स्वचालित टेलर मशीन की चोरी शामिल है।



मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाखा

भारतीय न्याय संहिता 2023



2. जो कोई भी कोई छोटा-मोटा संगठित अपराध करेगा, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

38. आतंकवादी अधिनियम [बीएनएस की धारा 113] [नया]

- बीएनएस की धारा 113 एक नया प्रावधान है

नई परिभाषा - 'आतंकवादी कृत्य' की परिभाषा

- धारा 113 निम्नानुसार प्रदान करती है:
 - जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, या आर्थिक सुरक्षा को धमकी देने या खतरे में डालने की संभावना के इरादे से या भारत में लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के इरादे से कोई कार्य करता है। या किसी विदेशी देश में,—

(a) बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार या जहरीली या हानिकारक गैसों या अन्य रसायनों या किसी अन्य पदार्थ का उपयोग करके (चाहे खतरनाक प्रकृति के जैविक, रेडियोधर्मी, परमाणु या अन्यथा किसी भी प्रकृति के कारण या होने की संभावना वाले किसी भी अन्य माध्यम से,—

(i) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु या चोट; या

(ii) संपत्ति की हानि, या क्षति, या विनाश; या

(iii) भारत या किसी विदेशी देश में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किसी भी आपूर्ति या सेवाओं में व्यवधान; या

(iv) नकली भारतीय कागजी मुद्रा, सिक्का या किसी अन्य सामग्री के उत्पादन या तस्करी या परिसंचरण के माध्यम से भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान; या

(v) भारत में या किसी विदेशी देश में भारत की रक्षा के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के संबंध में उपयोग की जाने वाली या उपयोग की जाने वाली किसी भी संपत्ति की क्षति या विनाश भारत सरकार, कोई राज्य सरकार या उनकी कोई एजेंसी; या



मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाखा

भारतीय न्याय संहिता 2023



(vi) आपराधिक बल के माध्यम से या आपराधिक बल के प्रदर्शन से आतंकित करना या ऐसा करने का प्रयास करना या किसी सार्वजनिक पदाधिकारी की मृत्यु का कारण बनना या किसी सार्वजनिक पदाधिकारी की मृत्यु का प्रयास करना ; या

(vii) किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेता है, अपहरण करता है या अपहरण करता है और ऐसे व्यक्ति को मारने या घायल करने की धमकी देता है या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या को मजबूर करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है। किसी विदेशी देश की सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने से विरत रहने के लिए आतंकवादी कृत्य करना।

इस उपधारा के प्रयोजन के लिए,-

(a) "सार्वजनिक पदाधिकारी" का अर्थ है संवैधानिक प्राधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में सार्वजनिक पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी;

(b) "नकली भारतीय मुद्रा" का अर्थ है नकली मुद्रा, जिसे किसी अधिकृत या अधिसूचित फॉरेंसिक प्राधिकारी द्वारा जांच के बाद घोषित किया जा सकता है कि ऐसी मुद्रा प्रमुख सुरक्षा विशेषताओं की नकल करती है या उनके साथ समझौता करती है। भारतीय मुद्रा का.

'आतंकवादी कृत्य' करने के लिए सज़ा

- जो कोई आतंकवादी कृत्य करेगा, -
 1. यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा;
 2. किसी अन्य मामले में, कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- बीएनएस के अध्याय 5 में महिला और बालक के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के विषय में उपबंधों को शामिल किया गया।
- भादवि की धारा 310 और 311 ठग और उसके दंड को निरसित कर दिया गया है।



मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाखा

भारतीय न्याय संहिता 2023



- बीएनएस की धारा 304 में नया प्रावधान जोड़कर झपटमारी (Snatching) को परिभाषित कर दंडनीय बनाया गया।
- शब्द स्नैचिंग का वही अर्थ होगा जो बीएनएस की धारा 304(1) में दी गई परिभाषा में दिया गया है क्योंकि बीएनएस की धारा 3(2) में प्रावधान है कि बीएनएस के किसी भी भाग में समझाई गई प्रत्येक अभिव्यक्ति को इसके अनुरूप उपयोग।
- यदि स्नैचिंग (चैन स्नैचिंग, मोबाईल स्नैचिंग आदि) करने वाला अपराधी किसी गिरौह या समूह का सदस्य है, तो स्नैचिंग का आपराध इस धारा के तहत दंडनीय है।
- यदि वह अकेले अंजाम देता है (अकेले काम करता है और गिरौह/समूह का हिस्सा नहीं है), तो धारा 304(2) के तहत दंडनीय होगा।
- धारा 304 एक नई धारा है जो स्नैचिंग को एक अलग नए अपराध के रूप में मानती है।
- धारा 304(2) के तहत सजा धारा 112 के तहत कम है।

- बीएनएस की धारा 153 क का किसी जूलूस में जानबूझकर आयुध ले जाना के अपराध को निरसित कर दिया गया।
- भादवि की धारा 236, 237, 238 भारत से बाहर सिक्के के कूचकरण का भारत में दुष्प्रेरण, कूटकृत सिक्का का आयात – निर्यात, भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात – निर्यात जैसे दंडनीय अपराधों को निरसित कर दिया गया।
- भादवि की धारा 116 में घोर उपहति की परिभाषा में 20 दिन (धारा 320 भादवि) के स्थान पर 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा प्रतिस्थापित किया गया है।
- धारा 124 क भादवि (राजद्रोह) को निरसित कर दिया गया है।
- बीएनएस की धारा 152 में भारत की संप्रभुता, एकता, अखण्डता को खतरे में डालने वाले कार्यों को परिभाषित कर दंडनीय बनाया गया है।

देशद्रोह



मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाखा



भारतीय न्याय संहिता 2023

- बीएनएस की धारा 152 में बीएनएस की धारा 152 में भारत की संप्रभुता, एकता, अखण्डता को खतरे में डालने के कृत्य से संबंधित एक नया अपराध जोड़ा गया है।
- धारा 152
- बीएनएस की धारा 152 में प्रावधान है कि जो कोई जानबूझकर या जानबूझकर, बोले गए या लिखित शब्दों से, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग से, या अन्यथा, उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियाँ, या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को बढ़ावा देता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखण्डता को खतरे में डालता है, या ऐसे किसी भी कार्य में शामिल होता है या करता है तो उसे आजीवन कारावास या कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
- बीएनएस की धारा 152 का स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि इस खंड में निर्दिष्ट गतिविधियों को उत्तेजित करने या उत्तेजित करने का प्रयास किए बिना कानूनी तरीकों से उनके परिवर्तन प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार के उपायों, या प्रशासनिक या अन्य कार्यवाही की स्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियाँ सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियाँ, अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करने या भारत की संप्रभुता या एकता और अखण्डता को खतरे में डालने वाली गतिविधियाँ इस धारा के तहत अपराध नहीं बनती हैं।

चोरी

शब्द चोरी को बीएनएस की धारा 303(1) में परिभाषित किया गया है। इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए चोरी शामिल है।

- चालाकी से चोरी
- वाहन, आवास गृह या व्यावसायिक परिसर से चोरी
- माल चोरी
- जेब काटना
- कार्ड स्किनिंग के माध्यम से चोरी
- दुकानदारी और
- ऑटोमेटेड टेलर मशीन की चोरी

शब्द ट्रिक थैप्ट, कार्ड स्किनिंग, शॉपलिफ्टिंग, पिकपॉकेटिंग आदि को बीएनएस में परिभाषित नहीं किया गया है।



मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाखा



भारतीय न्याय संहिता 2023

यदि चोरी करने वाला अपराधी किसी गिरोह या समूह का सदस्य है, तो अपराध इस धारा के तहत दंडनीय है। यदि वह इसे अकेले अंजाम देता है (अकेले काम करता है और गिरोह/समूह का हिस्सा नहीं है), तो यह बीएनएस की धारा 303(2) के तहत दंडनीय होगा।

धारा 303(2) के तहत सजा धारा 112 की तुलना में कम है।

जबकि चोरी की गई है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो गिरोह का हिस्सा है, धारा 112 के तहत अपराध है और समझौता योग्य नहीं है।

निर्धारित सजा (धारा 303(2))

- चोरी के सामान्य मामलों में पुराने और नये दोनों कानूनों के तहत 3 साल की सजा होती है। चोरी के बार बार अपराध करने (दूसरी या बाद की सजा) के मामले में, बीएनएस में कठोर कारावास के रूप में अधिक कठोर सजा का प्रावधान है, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- पहली बार दोषी पाए जाने पर सजा के रूप में सामुदायिक सेवा,
- यदि वह चोरी की गई संपत्ति का मूल्य लौटाता है या चोरी की गई संपत्ति को बहाल करता है।

छीनना

- चोरी छीनना है यदि, चोरी करने के लिए, अपराधी अचानक या जल्दी या जबरन किसी व्यक्ति या उसके कब्जे से किसी संपत्ति को जब्त या सुरक्षित कर लेता है या छीन लेता है।
- जो कोई भी झपटमारी करेगा, उसे तीन साल तक की कैद की सजा होगी और जुर्माना भी देना होगा।



मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाखा

भारतीय न्याय संहिता 2023



स.क्र.	पाठ्यक्रम	धारायें
01	भारतीय न्याय संहिता – एक परिचय	–
02	अपराध क्या है ? कोई कार्य कब अपराध बनता है ? मेन्सरिया का तात्पर्य –	–
03	भारतीय न्याय संहिता में आये विशेष शब्दों की परिभाषायें एवं दण्ड के विषय में	2 एवं 4
04	साधारण अपवाद	3
05	प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार	34 से 44
06	दुष्प्रेरण, आपराधिक पड़यंत्र और प्रयत्न के विषय में महिला एवं बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में	45 से 62
07	लैंगिक अपराधों के विषय में	63 से 73
08	महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में	74 से 79
09	विवाह के संबंध में अपराध के विषय में	80 से 87
10	गर्भपात आदि कारित करने के विषय में	88 से 92
11	बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में मानव शरीर पर प्रभाव जालने वाले अपराधों के विषय में	93 से 99
12	जीवन के लिए संकट कारी अपराधों के विषय में	100 से 113
13	उपहति के विषय में	114 से 125
14	सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में	126 एवं 127
15	आपराधिक बल और हमले के विषय में	128 से 136
16	व्यपहरण, अपहरण, दासत्य और बलात्संक के विषय में	137 से 146
17	राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में	147 से 158
18	लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में	189 से 197
19	लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार और अवमान के विषय में	198 से 226
20	मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में	227 से 269



मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण शाखा

भारतीय न्याय संहिता 2023



21	लोक स्वास्थ्य, होम, सुविधा शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में	270 से 297
22	धर्म से संबंधित अपराध के विषय में	298 से 302
	संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में	
23	चोरी के विषय में	303 से 307
24	उद्धापन के विषय में	308
25	लूट और डकैती के विषय में	309 से 313
26	संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियम के विषय में	314 से 315
27	आपराधित न्यास भंग के विषय में	316
28	छल के विषय में	318 से 319
29	कपटपूर्ण विलेख और संपत्ति व्ययनों के विषय में	320 से 323
30	रिष्टि के विषय में	324 से 328
31	आपराधिक अतिचार के विषय में	329 से 334
32	दस्तावेजों और सम्पत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में	335 से 344
33	आपराधिक अभिभास, अपमान, लोभ, मानहानी, आदि के विषय में	351 से 357
34	जाली नोटों एवं सिक्कों का कूटकरण	178 से 181

-----XXXXXXXXXX-----